



VEER MADHO SINGH BHANDARI UTTARAKHAND TECHNICAL UNIVERSITY, DEHRADUN

वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून
कार्यालय पता: चक्राता रोड, पोओ०-चंदनवाड़ी, प्रेमनगर, सुद्धोवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड-248007,
दूरभाष सं०-०१३५-२७७४०६७, ०६८, ०६९, वेबसाइट: www.uktech.ac.in

पत्रांक: 1223 / कुलसचिव कार्यालय / 2022

दिनांक: 26.07.2022

!! Startup and Innovative Cell की स्थापना !!

विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्ध निजी संस्थान/राजकीय संघटक/राज्य वित्तपोषित/स्ववित्तपोषित संस्थानों में स्टॉफ एवं छात्र-छात्राओं को Startup के लिए प्रेरित करने तथा उनके Innovative Ideas पर कार्य करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा Startup and Innovative Cell का निम्नानुसार गठन किया जाता है। सम्बन्धित Cell विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सभी निजी संस्थान/राजकीय संघटक/राज्य वित्तपोषित/स्ववित्तपोषित संस्थानों से समन्वय स्थापित करते हुये एक पॉलिसी डाक्यूमेंट विश्वविद्यालय स्तर पर तैयार करेगी एवं ड्राफ्ट तैयार कर 10 दिन के अन्तर्गत मा० कुलपति महोदय के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

1. डॉ० विशाल रमोला, एम०टैक० विभाग, वी०मा०सिं०भ०उ०प्र०विवि०, देहरादून – (समन्वयक)
2. डॉ० संजय कुमार, एम०टैक० विभाग, वी०मा०सिं०भ०उ०प्र०विवि०, देहरादून – (सदस्य)
3. डॉ० अमित कुमार, एम०टैक० विभाग, वी०मा०सिं०भ०उ०प्र०विवि०, देहरादून – (सदस्य)
4. श्री मोहम्मद शाकिब, एम०टैक० विभाग, वी०मा०सिं०भ०उ०प्र०विवि०, देहरादून – (सदस्य)

उपरोक्त गठित समिति में नामित सदस्यों को संविदा अवधि अथवा अग्रिम आदेश जो भी पहले हो तक के लिए नामित किया जाता है। कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(आर०पी० गुप्ता)
कुलसचिव

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा० कुलपति को कुलपति महोदय के सादर संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. वित्त नियंत्रक, वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून।
3. परीक्षा नियंत्रक, वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून।
4. विभागाध्यक्ष, एम०टैक० एवं एम०फार्मा० विभाग, वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून।
5. श्री गौरव भण्डारी को इस आशय के साथ प्रेषित कि समस्त संस्थानों को ई०मेल० के माध्यम से पत्र प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
6. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध निजी संस्थान/राजकीय संघटक/राज्य वित्तपोषित/स्ववित्तपोषित संस्थानों को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
7. उपरोक्त नामित सदस्यों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. गार्ड फाइल।